न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—328/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00328)

1. भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र रामकरण
2. श्रीमती मोहनी पत्नी भंवरलाल

समस्त जाति कुमवात निवासी सांवर तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश पुत्र भूरा
2. जयराम पुत्र भूरा
3. गोपाल पुत्र जगदीश

समस्त जाति माली निवासी सांवर तहसील सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

4. रामचन्द्र पुत्र रामकरण
5. रामेश्वर पुत्र रामकरण
6. ओम प्रकाश पुत्र घीसालाल दत्तक पुत्र नाथू
7. श्रीमती नन्दू बेवा गोपी
8. हीरा लाल पुत्र गोपी
9. ऐजन पुत्री गोपी
10. मु0 नंदु बेवा रामकरण
11. छोटू पुत्र कालू

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 26.02.2015, वाद संख्या 236/ 2007.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4
3. श्री शिव प्रकाश वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 6
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3,5,7 से 11 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—16.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 236/2007 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 11 ने उपखण्ड अधिकारी महोदय केकड़ी क समक्ष एक राजस्व वाद 188 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व5 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्रम सावर तहसील सावर में अस्थित खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 4436 रकबा 0.67 जो वादी अपीलांट व परफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 की सह खातेदारी में दर्ज है जिस पर अपीलांट निर्बाध रूप से काबिज होकर अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं अभी हाल ही में वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जिनका कि विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है अपीलांट को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट, अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के समक्ष उपस्थित होकर कथनों से इंकार किया तथा यह निवेदन किया कि खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 हैक्टर गै.मु. पाल है। जिस पर खातेदारी गलत रूप से वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया। इस आधार पर दो तनकियात कायम करते हुए वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर वादीगण का वाद उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.2.2015 द्वारा खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.67 हैक्टर बाबत वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया तथा खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 हैक्टर गै.मु. पाल बाबत वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट / वादी ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीगण को दिनांक 21.8.2015 को प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा विवादित अराजी पर जबरन बेदखल करने की धमकी देते हुए वादीगण/प्रार्थीगण का वाद निरस्त किए जाने बाबत जानकारी होने पर वह केकडी जाकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 26.2.2015 को ही निरस्त कर दिया था जिसकी नकल अभिभाषक महोदय ने पूर्व में ही दिनांक 19.3.2015 को ले ली थी जिसे लेकर वह अजमेर आया और दिनांक 22.08.2015 व 23.8.2015 का अवकाश होने के कारण अपील आज अविलंब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस आगे निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह पूर्णतया साबित था कि वादीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार थे वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पस्तुत कर प्रतिवाद/रेस्पो0 द्वारा वादी /अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल अंजदाजी नहीं किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया साबित होने पर भी उपखण्ड अधिकारी केकेडी ने खसरा नम्बर 4458, 5248 रकबा 0.50 हैक्टर बाबत वादी का वाद निरस्त कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है साथ ही धारा 188 राज0काश्त0अधि0 में विफल रहे है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि वादीगण एवं उनके पूर्वज उनकों आवंटित भूमि पर खातेदार होकर काविज काश्त चले आ रहे है एवं आराजी का लगान राज्य सरकार को अदा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अतिरिक्त कथन में यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 4458,5248 गै0मु0पाल है जिस पर वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

/अपीलांट जबरन कब्जा करने पर आमादा है । उनके द्वारा अपने जवाब में दिये गये कथन के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 4458, 5248 गै0मु0पाल बाबत् निरस्त कर दिया गया जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत था न कि खातेदारी लिये जाने बाबत जो कि रेस्पो0 के विरूद्ध चाही गई थी। रेस्पो0 का विवादित आराजी में कोई लोकस नहीं होते हुए भी उनके कथनों को मानते हुए वादीगण का वाद निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 1 व 2 का जो निर्णय प्रदान किया है वह पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने दौराने जवाब प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील के गुणावगुण पर निवेदन किया कि यदि अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में देरी के कारण यदि संतोषजनक दिये है तो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है तथा अपील के गुणावगुण पर यदि माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करे उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

7. विद्वान रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने दौराने जवाब प्रार्थना–पत्र बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा वादीगण में प्रार्थी/अपीलांट भूरा भी वादी था जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह मनगढ़त व झूठे है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

8. विद्वान रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने दौराने जवाब बहस अपील में निवेदन किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 4458/5248 गै0मु0 पाल दर्ज है जो सरकारी पाल है तथा इसके लगवा ही सरकारी भूमि दर्ज है। वादीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बर 4436 रकबा 0.67 है0 को अपने नाम दर्ज करा ली है तथा खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है. गै.मु.पाल सरकारी भूमि है तथा उपरोक्त पाल के ऊँपर देवनारायण का मंदिर बना हुआ है जिस पर समस्त सावर के व आस–पास के व्यक्ति श्रद्वालु आते जाते है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है. पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

9. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 04 एवं 06 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 में वादग्रस्त खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है0 भूमि वर्गिकरण में गै.मु.पाल है जो वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर कथन किया कि वादीगण के उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण 04, 05 को पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 4458/5248 गै.मु.पाल बाबत् वाद को निरस्त कर दिया, जबकि वादीगण द्वारा वाद स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध था न कि खातेदारी लिए जाने बाबत् जो प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध चाही गई थी। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का विवादित आराजी खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है0 बाबत् किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है केवल उनकी यह आपत्ति की गै.मु.पाल है तथा देवनारायण का मंदिर है जो सार्वजनिक स्थान हैं। खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है0 वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा (धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम) का था उनके द्वारा दावे को घोषणा (धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) का मानते हुए निर्णित किया गया है जो विधि सम्मत नही है इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है0 बाबत् पुनः पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 236/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 4458/5248 रकबा 0.50 है0 बाबत् पुनः पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 13.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर